

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रांझी, जिला जबलपुर

पत्र क्र. 005/री/अ.वि.अ./रांझी/2025

जबलपुर दिनांक 17/04/2025

प्रति

श्रीमान् कलेक्टर महोदय

जिला जबलपुर

विषय:- श्री अमिताभ थियोफिलस आत्मज स्व. श्री धीरेन्द्र प्रताप निवासी म.नं. 206 अंकुर अपार्टमेंट जबलपुर म.प्र. एवं निवास- पूजा कॉलोनी रातीबड़ भोपाल के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में।

संदर्भ:- कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य (राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति सतपुडा भवन, द्वितीय तल म.प्र.) के पत्र क्र./जा.प्र.समिति/2196/2019/ भोपाल दिनांक 08/11/2024 .

.....00.....

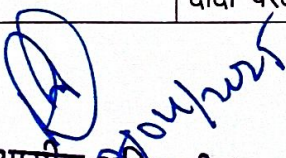
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार सोनाली सिंह, भोपाल के द्वारा शिकायत की गई कि श्री अमिताभ प्रताप सिंह (थियोफिलस) द्वारा फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायत की गई है। उक्त संबंध में जनजाति विशेषताओं के अनुसार जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु मानव विज्ञान, नृवंश विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तियों/संगठनों से सर्वेक्षण कराया जाकर बिन्दुवार जांच के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उक्त संबंध में तहसीलदार रांझी से मौका जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा लिया गया। अनावेदक को नोटिस जारी कर न्यायालय में आहूत कर कथन अंकित किये गये।

क्र	जांच के बिन्दु	प्रतिवेदन
1	जनजाति विशेषताओं के अनुसार जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु मानव विज्ञान, नृवंश विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्तियों/संगठनों से सर्वेक्षण कराया जाकर निम्न बिन्दुओं पर जांच करें :-	i. जनजाति लक्षणों के संकेत :- मौका जांच प्रतिवेदन एवं कथन के आधार पर अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह जन्म से ही क्रिश्चियन धर्म के हैं। अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह में जनजातियों के लक्षण प्रतीत नहीं हो रहे हैं। ii. विशिष्ट संस्कृति :- मौका जांच प्रतिवेदन एवं कथन के आधार पर अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह जन्म से ही क्रिश्चियन धर्म के हैं। अतः इनके द्वारा गोंड जनजातियों रीति रिवाज इत्यादी नहीं मानते हैं। जनजाति वर्ग के व्यक्ति एक समूह के रूप में निवासरत रहते हैं। गोत्र के मुताबिक शादी विवाह होते हैं।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रांझी, जबलपुर (म.प्र.)

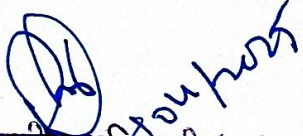
		iii. भौगोलिक अलगाव :- iv. समुदाय के साथ संपर्क में संकोच :- v. पिछड़ापन :-	मौका जांच प्रतिवेदन एवं कथन के आधार पर अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह जन्म से ही क्रिश्चियन धर्म के हैं। उनके द्वारा बताया है कि 206 अंकूर अपार्टमेंट जबलपुर में निवास करते थे एवं सेंट पॉल हायर सेकेण्ड्री स्कूल 1075 नेपियर टाउन जबलपुर में वर्ष 01/07/1980 को कक्षा पहली में दाखिला लिया था। अनावेदक अमिताभ की शादी सामान्य वर्ग की महिला से हुई थी। अन्य कोई भी रिश्तेदार गोंड जनजाति से होना नहीं पाया गया है तथा गोंड जनजातियों से किसी भी प्रकार से सामाजिक, रिश्तेदारी एवं सांस्कृतिक संबंध होना नहीं पाया गया है। जनजाति समुदाय के व्यक्ति समुह में निवास करते हैं। शादी विवाह कार्यक्रम जनजाति संस्कृति के अनुसार संपन्न होते हैं। मौका जांच प्रतिवेदन एवं कथन के आधार पर अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह का गोंड जनजाति के समुदाय से संपर्क में नहीं है। अमिताभ प्रताप का गोंड जनजातियों से किसी प्रकार वैवाहिक संबंध नहीं है। अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ होने से पिछड़ापन नहीं है।
2	जनजाति धारकों के रीति-रिवाजों, गोत्र, टोअम, देवी-देवता, अर्थव्यवस्था, वधु मूल्य प्रथा आदि सामाजिक लक्षणों का परीक्षण किया जाना :-		जांच प्रतिवेदन एवं कथन के आधार पर अनावेदक क्रिश्चियन धर्म के होने के कारण गोंड जनजाति के रीति-रिवाजों को नहीं मानते हैं। अनावेदक द्वारा कथन में बताया गया कि गोत्र - कुंजाम, देवी-देवता 7 देव होना बताया है। अर्थव्यवस्था- अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह पुलिस उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ होने से अर्थव्यवस्था ठीक है। अनावेदक क्रिश्चियन धर्म का होने से वधु मूल्य प्रथा को नहीं मानता एवं गोंड जनजातियों से किसी प्रकार सामाजिक संपर्क नहीं है। अनावेदक के जनजातियों के सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि नहीं होती है। क्रिश्चियन एक पृथक समुदाय है। गोंड जनजाति के व्यक्ति बड़ा देव की पूजा करते हैं।
3	वर्ष 1950 की स्थिति में पिता-दादा के भू-अभिलेख/मकान व दर्ज जाति का दस्तावेजी प्रमाण :-		मौका जांच प्रतिवेदन एवं अनावेदक के कथन अनुसार अनावेदक के पिता, दादा के संबंध में अनावेदक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अमिताभ द्वारा अपने कथन में बताया है कि उनके पिता एवं दादा जबलपुर जिले के आस-पास के जिले के रहे होंगे। अनावेदक ने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है कि वर्ष 1950 की स्थिति में उनके दादा परदादा कहां के निवासी थे। अनावेदक को पूछे जाने


 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 रांझी, जबलपुर (म.प्र.)

		पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके पूर्वजों की वर्ष 1950 की स्थिति में निवास की जानकारी नहीं है। अमिताभ अथवा उसके पूर्वज दिये गये पता 206 अंकुर अपार्टमेंट जबलपुर में वर्ष 1950 की स्थिति में निवास नहीं करते थे। अनावेदक का 1950 की स्थिति में तहसील रांझी में निवास होना नहीं पाया जाता है, न ही उनके द्वारा पूर्वजों की निवास एवं जाति संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया है।
4	ग्राम की जन्म मृत्यु पंजी जिसमें कोटवार द्वारा प्रवृष्टि कर कलेक्टर कार्यालय में जमा कराये गये अभिलेख -	मौका जांच एवं प्रतिवेदन अनुसार अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह कक्षा पहली में सेंट पॉल हायर सेकेण्ड्री स्कूल 1075 नेपियर टाउन जबलपुर में दाखिला लिया था। उनके दाखिला खारिज रजिस्टर अनुसार जन्म दिनांक 12/07/1974 धर्म क्रिश्चियन जाति एस.टी. गोंड अंकित है तथा पता के स्थान पर धीरेन्द्र प्रताप थियोफिलस अंकित है।
5	अनावेदक के सगे संबंधियों द्वारा जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया गया हो तो उक्त दस्तावेज :-	मौका जांच प्रतिवेदन एवं अनावेदक के कथन अनुसार अनावेदक के पिता प्राइवेट नौकरी करते थे वे अपने माता पिता के एकलौते संतान होना बताया एवं अनावेदक भी अपने माता पिता की एकलौती संतान है। अनावेदक द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि अनावेदक के संबंधियों द्वारा आरक्षण का लाभ लिया हो। अमिताभ के पिता पक्ष एवं माता पक्ष से कोई भी सदस्य गोंड जनजाति का होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, न ही अमिताभ का कोई रिश्तेदार गोंड जनजाति का है।
6	पिता/दादा के शासकीय सेवा में होने की स्थिति में सेवा अभिलेख में दर्ज जाति, आरक्षण के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति आदि की जांच की जावे :-	मौका जांच प्रतिवेदन एवं अनावेदक के कथन अनुसार अनावेदक के पिता प्राइवेट नौकरी करते थे। अनावेदक के परिवार में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो गोंड जनजाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लिया हो। इस संबंध में अनावेदक ने कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही अनावेदक अमिताभ ने अपने किसी रिश्तेदार गोंड जनजाति का होना बताया है।

उपरोक्त विवेचना एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि -

- (ii) अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह (थियोफिलस) के रीति रिवाज एवं सस्कृति गोंड जनजातियों के अनुसार नहीं होना पाया गया। अनावेदक अमिताभ का दाखिला सेंट पॉल हायर सेकेण्ड्री स्कूल


 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 रांझी, जबलपुर (म.प्र.)

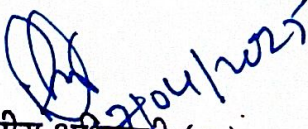
1075 नेपियर टाउन जबलपुर में वर्ष 01/07/1980 में कक्षा पहली में लिया गया था, उक्त दाखिले में धर्म क्रिश्चियन एवं जाति एसटी गोंड अंकित है। वर्ष 1980 के पहले के गोंड जनजाति के संबंध में अनावेदक अथवा उसके पूर्वजों के कोई भी दस्तावेज नहीं है। उक्त संबंध में भी अनावेदक द्वारा अपने कथनों में वर्ष 1980 के पूर्व के जाति एवं निवास संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, अनावेदक अमिताभ अथवा उसके पूर्वज वर्ष 1950 की स्थिति में तहसील रांझी, जिला जबलपुर में निवासरत होना नहीं पाये गये।

(ii) अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह (थियोफिलस) के रीति रिवाज एवं संस्कृति गोंड जनजातियों के अनुसार नहीं होना पाया गया। अनावेदक अमिताभ का दाखिला सेंट पॉल हायर सेकेण्ड्री स्कूल 1075 नेपियर टाउन जबलपुर में वर्ष 01/07/1980 में कक्षा पहली में लिया गया था, उक्त दाखिले में धर्म क्रिश्चियन एवं जाति एसटी गोंड अंकित है। वर्ष 1980 के पहले के गोंड जनजाति के संबंध में अनावेदक अथवा उसके पूर्वजों के कोई भी दस्तावेज नहीं है। उक्त संबंध में भी अनावेदक द्वारा अपने कथनों में वर्ष 1980 के पूर्व के जाति एवं निवास संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, अनावेदक अमिताभ अथवा उसके पूर्वज वर्ष 1950 की स्थिति में तहसील रांझी, जिला जबलपुर में निवासरत होना नहीं पाये गये।

(iii) अनावेदक अमिताभ द्वारा कथन में बताया गया कि वर्ष 1950 में उनके पूर्वज जबलपुर जिले के आस-पास किसी अन्य जिले में रहते रहे होंगे। इस प्रकार अनावेदक एवं उसके पूर्वजों की जबलपुर जिले में वर्ष 1950 की स्थिति में गोंड जनजाति एवं निवास संबंधी दस्तावेजों की पुष्टि नहीं होती है। अनावेदक का कोई भी रिश्तेदार अथवा नातेदार गोंड जनजाति का नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदक अमिताभ अथवा उसके पिता ने सुनियोजित तरीके से जनजाति आरक्षण का लाभ लेने के लिए स्कूल के कक्षा पहली के दाखिला खारिज में गोंड लिखवाया है। अमिताभ के परिवार में कोई भी सदस्य रिश्तेदार अथवा नातेदार गोंड जनजाति का नहीं पाया गया। अमिताभ प्रताप सिंह द्वारा दिये गये पता- 206 अंकुर अपार्टमेंट जबलपुर में अमिताभ एवं उसके पूर्वज के वर्ष 1950 की स्थिति में निवास की पुष्टि नहीं हो रही है। अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह द्वारा "गोंड" जनजाति का सदस्य नहीं होने के उपरान्त भी असत्य जानकारी प्रस्तुत कर क्र- 6745/बी-121/1997-98 में "गोंड" जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाया है।

स्थानीय जांच एवं अनावेदक के कथन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह की भौगोलिक, संस्कृति लक्षण एवं पिछड़ापन की स्थिति "गोंड" जनजाति अनुसार नहीं पाई गई। जनजाति समुदाय के लोग समुह के रूप में निवासरत रहते हैं और शादी-विवाह गोत्र एवं देवता के आधार पर संपन्न होते हैं। जनजाति संस्कृति से इनका कोई संबंध होना नहीं पाया जाता है, न ही अनावेदक अमिताभ जनजाति वर्ग का है। अनावेदक क्रिश्चियन धर्म मानता है। अमिताभ का जनजातियों की परंपराओं से इनका कोई भी मिलाप नहीं होता है। अमिताभ प्रताप सिंह एवं

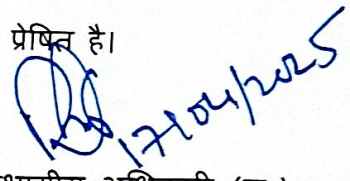

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रांझी, जबलपुर (म.प्र.)

जबलपुर (म.प्र.)

उसके पूर्वजों का वर्ष 1950 की स्थिति में तहसील रांझी जिला जबलपुर में निवास होना नहीं पाया जाता है। अनावेदक अमिताभ प्रताप सिंह द्वारा असत्य जानकारी प्रस्तुत कर क्र-6745/बी-121/1997-98 में "गोंड" जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाना प्रतीत होता है। अतः अमिताभ प्रताप सिंह का जाति प्रमाण पत्र क्र-6745/बी-121/1997-98 निरस्त किया जाना तथा अनावेदक के विरुद्ध विभागीय एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाना उचित प्रतीत होता है।

जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् जी की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न:- मूल नस्ती।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रांझी - जबलपुर
रांझी, जबलपुर (म.प्र.)

क
है।
ण
क
है।
नहीं
में
है।